



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं0 पटना 844) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

एस० ओ० 130 दिनांक 22 जुलाई 2026—मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 31 की उपधारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ बोनस की मात्रा संबंधी विवाद के निस्तारण हेतु निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए प्राधिकार नियुक्त करते हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	उप श्रमायुक्त, पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर
2	उप श्रमायुक्त, गया	गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा
3	उप श्रमायुक्त, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई
4	उप श्रमायुक्त, बेगूसराय	बेगूसराय, खगड़िया,
5	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर, बांका
6	उप श्रमायुक्त, सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
7	उप श्रमायुक्त, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, किशनगंज
8	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
9	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण
10	उप श्रमायुक्त, छपरा	सारण, सीवान, गोपालगंज

2. सभी प्राधिकार अपनी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत संहिता के प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

3. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/Code on Wages-10-01/2025-124/अ०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 131 एस० ओ० 130 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/Code on Wages-10-01/2025-125/अ०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 130 dated 22nd July 2026—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 31 of the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019), the Governor of Bihar is pleased to appoint the officers specified in column (2) of the Schedule given below as the Authority for the purpose of adjudicating disputes relating to the quantum of bonus under the Code, in respect of establishments situated within the areas specified in column (3) against them, for which the State Government is the appropriate Government.

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
1	Deputy Labour Commissioner, Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur, Rohtas, Kaimur, Buxar
2	Deputy Labour Commissioner, Gayaji	Gaya, Aurangabad, Jehanabad, Arwal, Nawada
3	Deputy Labour Commissioner, Munger	Munger, Lakhisarai, Shekhpura, Jamui
4	Deputy Labour Commissioner, Begusarai	Begusarai, Khagaria
5	Deputy Labour Commissioner, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka
6	Deputy Labour Commissioner, Saharsa	Saharsa, Supaul, Madhepura
7	Deputy Labour Commissioner, Purnia	Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj
8	Deputy Labour Commissioner, Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur
9	Deputy Labour Commissioner, Muzaffarpur	Muzaffarpur, Vaishali, Sitamarhi, Sheohar, East Champaran, West Champarna

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
10	Deputy Labour Commissioner, Saran	Saran, Siwan, Gopalganj

2. All authorities shall exercise their powers within the local limits of their jurisdiction in accordance with the provisions of the Code.
3. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/Code on Wages-10-01/2025-124/ L.R.)

By The order of the Governor of Bihar,

Upendra Prasad,

Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 844-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>